<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239737 CG-DL-E-18102022-239737

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4714] No. 4714] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 2022/आश्विन 26, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022/ASVINA 26, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4926(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 8 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2119(अ), तारीख 26 जून, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, का और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 8 के उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश में उच्चतर परिवर्तन अथवा/और टर्नओवर में उच्चतर परिवर्तन तथा परिणामस्वरूप पुन:वर्गीकरण की स्थिति में, कोई उद्यम उस प्रवर्ग (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) से ऐसे उच्चतर परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए उन सभी गैर-कर लाभों का उपयोग करता रहेगा, जैसा कि वह पुन:वर्गीकरण से पहले कर रहा था।"

[फा. सं. पी-05/1/2022-जीईएन] शैलेश कुमार सिंह, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2119(अ), तारीख 26 जून, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 1055(अ), तारीख 5 मार्च, 2021, का.आ. 2347(अ), तारीख 16 जून, 2021, का.आ. 278(अ), तारीख 19 जनवरी, 2022 और का.आ. 2134(अ), तारीख 6 मई, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

7036 GI/2022 (1)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2022

S.O. 4926(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 and sub-section (2) read with sub-section (3) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 2119(E), dated the 26th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II,Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for sub-paragraph (5) of paragraph 8, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(5) In case of an upward change in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and consequent re-classification, an enterprise shall continue to avail of all non-tax benefits of the category (micro or small or medium) it was in before the re-classification, for a period of three years from the date of such upward change."

[F. No. P-05/1/2022-GEN]

SHAILESH KUMAR SINGH, Addl. Secy. and Development Commissioner (MSME).

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2119 (E), dated the 26th June, 2020 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 1055(E), dated the 5th March, 2021, S.O. 2347(E), dated the 16th June, 2021, S.O. 278(E), dated the 19th January, 2022 and S.O. 2134(E), dated the 6th May, 2022.